न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज (सिरोही)

बइजलास श्रीमती शकुंतला चौधरी, R.A.S

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.भीखाराम पुत्र अदराराम जाति मेघवाल उम्र 58 वर्ष 2.विशाल पुत्र भीखाराम पढीयार जाति मेघवाल सर्वनिवासीगण– वणधर तह0 रानीवाडा जिला सांचोर विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्रपुरी	बनाम	1. चतरा पुत्र राजाजी जाति मेघवाल निवासी वरमाण तहसील रेवदर 2. किशनाराम पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी तरजालीया पिपरली तह0 लुणी जिला जोधपुर 3.तहसीलदारजी (भूमिधारी) रेवदर, जिला सिरोही विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 22/2021

–:निर्णयः–

दिनाक 24.07.2024

इस न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी कमांक/कोर्ट/2024/268 दिनाक 08.05.2024 की अनुपालना में तहसीलदार रेवदर ने जरिये पंत्राक/रीडर/2024/271 दिनाक 28.07.2024 से वादग्रस्त भूमि **मौजा वरमाण** पटवार हल्का वरमाण तहसील रेवदर के **खसरा नम्बर 777 रकबा 01.18 बीघा व खसरा नं0 779 रकबा 19.13 बीघा** भूमि का विभाजन कर बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया। अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश कर अवगत कराया था कि पूर्व वादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि आराजी का अपना खातेदारी हक हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख के भीखाराम पुत्र अदराराम जी व विशाल पुत्र भीखाराम पढियार को बैचान कर दी है। प्रार्थनापत्र का वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब न देकर सीधे बहस की गई जिसे सुना गया। जिस पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं की। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व वादीगण के स्थान पर भीखाराम व विशाल को पक्षकार बनाया गया तथा प्राप्त बंटवाड प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति दी जिस पर दोनों पक्षकार बंटवाड प्रस्ताव पर सहमत होने से निर्णय जारी किया गया।

अतः उल्लेखित व विवेचित तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण को कतिपय प्रावधानों तथा मौके व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि का वाद पक्षकारों के हक हिस्सा के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा तैयार कर पेश किया जो वाद पक्षकारों का हक हिस्सा अनुसार होने से स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। डिकी किया जाता है। तहसीलदार रेवदर को संलग्न बंटवाड प्रस्ताव व नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार रेवदर द्वारा पेश बंटवाड प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जायेगा। पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करेगे। मार्फिक निर्णय डिकी पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

आज दिनाक 24.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(शकुंतला चौधरी)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
दिनाक 24.07.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.04 10:55:49 IST
Reason: SelfAttested

कमांक/कोर्ट/2024/ 424
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार, रेवदर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)